

- वर्ष 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के लिये **आचार समिति गठित करने का वचन** सामने आया।
- तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति (और राज्यसभा के सभापति) के.आर. नारायणन ने **सदस्यों के नैतिक और नीतिपरक आचरण** की नगिरानी करने एवं इससे संदर्भित कदाचार के मामलों की जाँच करने के लिये 4 मार्च, 1997 को **उच्च सदन की आचार समिति** का गठन किया।
 - लोकसभा के मामले में **वर्ष 1997 में सदन की विशेषाधिकार समिति** के एक अध्ययन समूह ने एक आचार समिति के गठन की सफारिश की, **लेकिन इसे लोकसभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका।**
- **13वीं लोकसभा** के दौरान विशेषाधिकार समिति ने **अंततः एक आचार समिति के गठन** की सफारिश की।
- दिवंगत अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी ने वर्ष 2000 में **एक तदर्थ आचार समिति** का गठन किया, जो वर्ष 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई।
- **शिकायतों की प्रक्रिया:**
 - कोई भी व्यक्ति **किसी सदस्य के विरुद्ध** किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से **कथित कदाचार के साक्ष्यों** और एक हलफनामे के साथ शिकायत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि शिकायत **"झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली"** नहीं है।
 - यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
 - अध्यक्ष **किसी सांसद के विरुद्ध कोई भी शिकायत** समिति को भेज सकता है।
 - समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या वचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है। **किसी शिकायत की जाँच करने का निर्णय लेने से पूर्व समिति प्रथम दृष्टया जाँच** करती है तथा शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सफारिशें करती है।
 - समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो सदन से विचार विमर्श करता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिये।
 - रिपोर्ट पर **आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है।**
- **विशेषाधिकार समिति के साथ ओवरलैप:**
 - आचार समिति और **विशेषाधिकार समिति** का कार्य प्रायः ओवरलैप होता है। किसी सांसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर **आरोप विशेषाधिकार समिति के पास** जाते हैं।
 - विशेषाधिकार समिति का कार्य **"संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा" की रक्षा करना** है।
 - इन विशेषाधिकारों का लाभ व्यक्तिगत सदस्यों के साथ-साथ संपूर्ण सदन को भी मिलता है। **विशेषाधिकार के उल्लंघन** के लिये एक सांसद की जाँच की जा सकती है; किसी गैर-सांसद व्यक्ति पर भी सदन के अधिकार और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कार्यों के लिये विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।
 - आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल हों।

